[18/2/2026] 2

प्रश्न सं. [क्र. 695]

बिन्दु 'ग '

परिशिष्ट–' अ

01 आवेदक दिनेश कुमार पिता उकारलाल शर्मा जाति सुधार उम्र 32 साल निवासी विरानी कालोनी मनासा हाल मुकाम ग्राम चंगेरा थाना नीमच केंट द्वारा एक लेखी आवेदन दिनांक 08.03.2022 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसे जाँच हेतु थाना नीमच केंट भेजा गया था। थाना प्रभारी थाना नीमच केंट द्वारा जाँच में प्रतिवेदित किया गया कि आवेदक दिनेश कुमार द्वारा दिये गये आवेदन पत्र का घटना स्थल इंदौर का होने से इस कार्यालय के पत्र कमांक–पुअ/नीमच/शिज/760–ए/2021, नीमय दिनांक 25 मार्च 2022 से पुलिस अधीक्षक जिला इंदौर आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल नस्ती के साथ भेजा गया था।

आवेदक दिनेश कुमार शिकायत आवेदन पत्र मय मुल नस्ती जाँच हेतु पुलिस उपायुक्त, इंदौर महानगर जो–03 के पत्र कं–पुउपायुक्त/इं/जोन–3/शिज/पुउपा/मुख्या 579/22 दिनांक 27.10.2022 से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदन की जाँच थाना छोटी ग्वालटोली जोन–3 इंदौर से करान्ते समय आवेदक दिनेश कुमार अपनी शिकायत आवेदन की जाँच जिला नीमच में कराना चाहता है. जिस पर से अग्रिम जॉच हेतु शिकायत आवेदन पत्र मय मुल नस्ती महिला थाना नीमच भेजा गया, थाना प्रभारी महिला थाना नीमच के जाँच में प्रतिवेदित किया गया कि आवेदक दिनेश कुमार ने अपने कथन में बताया कि बिन्दिया ने मुझसे शादी का झुठा नाटक कर मुझसे पैसे एठती रहीं और जब मैंने उससे पैसे मांगे तो मुझे केस में फसाने की धमकी देती है तथा महिला थाने पर मेरे विरूद्ध झूठी शिकायतें की गई है, जिस पर से आवेदक दिनेश कुमार ने अपने बचाव हेतु शिकायत आवेदन पत्र दिया था. कि जब भी अनावेदिका बिन्दिया मेरे विरुद्ध कोई शिकायत महिला थाने पर करें तो मुझे भी सुना जावें। आवेदक दिनेश कुमार अपने द्वारा दिये गये शिकायत आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। जाँच से कोई जुर्म दस्तनदाजी अपराध का घटित होना नहीं पाया गया। जाँच प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र कमांक पुअ/नीमच/शिज /3806–ए/2022, नीमच दिनांक 02.01.2023 से पुलिस आयुक्त इंदौर (म०प्र०) भेजा गया है।

02. आवेदिका श्रीमति कंचन पति लक्ष्मीनारायण जोशी निवासी 44. स्कीम नम्बर 36/ए (सीताराम जाजू नगर) नीमच जिला नीमच द्वारा जन सुनवाई में एक लेखी आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2024 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसे जॉच हेतु महिला थाना नीमच भेजा गया था। थाना प्रभारी महिला थाना नीमच द्वारा जाँच में प्रतिवेदन किया गया कि आवेदिका श्रीमति कंचन जोशी ने अपने कथन में बताया कि मेरी बहु मेघा पुरोहित द्वारा महिला थाना इंदौर में अपराध कमांक 85/23 दिनांक 13.05.2023 धारा 498 ए. 323, 294, 506. 34 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का पंजीबद्ध कराया था जो न्यायालय में विचाराधीन है, आवेदिका कंचन जोशी द्वारा आवेदन दिया गया था। शिकायत आवेदन जॉच से कोई जुर्म दस्तनदाजी अपराध का घटित होना नहीं पाया गया।

अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

स.पु.प. (शिकायत)
पु.मु., भोपाल.

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट "ब"

म.प्र. विधानसभा बजट सत्र २०२६

कार्यालय पुलिस आयुक्त, नगरीय इन्दौर

नवीन पुलिस नियंत्रण कक्ष, गियर तिराहा, पलासिया, इंदौर (मध्य प्रदेश)
E-Mail- vidhansabhacell.indore@gmail.com ph.no.- 0731-2510311

क्र. - पु.आ./इं/वि.स.सेल/बजट सत्र/09(बी-06ए)/2026 दिनांकः- 06.02.2026

प्रति,

पुलिस महानिरीक्षक
(शिकायत)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

विषय :- मध्यप्रदेश षोडश विधानसभा का नवम सत्र (बजट सत्र) 2026 में अतारांकित प्रश्न क्र. 695 प्रेषक माननीय विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार द्वारा **(विवाह के नाम पर धोखाधड़ी संबंधी प्रकरण)** चाही गई जानकारी के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र.- पु.मु./शिका./वि.स./अतारा.-695/1659/2026 दि. 28.01.2026।

--

कृपया उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। संदर्भित पत्र के माध्यम से विधानसभा **अतारांकित प्रश्न क्र. 695 में** चाही गई बिंदुवार जानकारी निम्नानुसार है :-

(क) वांछित जानकारी संलग्न प्रोफार्मा में दर्शायी गई है।

(ख) वांछित जानकारी संलग्न प्रोफार्मा में दर्शायी गई है।

नोट :-1. आवेदक सुनील बरोदिया द्वारा दिनांक 19.12.2025 को थाना एम.जी. रोड़ पर सीधे उपस्थित होकर, फरियादी के विवाह का अनुबंध लेख कर, आरोपीगणों द्वारा 1,20,000/- रूपयें हड़प कर धोखाधड़ी करने के संबंध में अप. क्र. 417/2025 धारा 319(2),318(4),61,3(5) बी.एन.एस. का पंजीबद्ध कराया गया है। जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर, विवेचना जारी है।

(ग) वांछित जानकारी संलग्न प्रोफार्मा में दर्शायी गई है।

नोट :- 1. प्रश्नांश (ग) के संबंध में, "आवेदिका श्रीमती कंचन पति लक्ष्मीनारायण जोशी नि. 44 स्कीम नं. 36-ए सीताराम जाजूनगर जिला नीमच का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जो अपनी पुत्रवधु श्रीमती मेघा पति अक्षय जोशी के द्वारा महिला थाना इंदौर में अप. 85/2023 धारा 498ए,323,294,506,34 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के **झूठे प्रकरण में फंसाने की कोशिश करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत** किया था। उक्त प्रकरण 1. लक्ष्मीनारायण जोशी 2. अक्षय जोशी 3. शीतल जोशी के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया था। जिसमें अभियुक्तगणों के विरूद्ध चालान क्र. 85/27.05.2023 का कता कर माननीय न्यायालय में फौ.मु.नं. 3119/12.06.2023 को पेश किया गया है। जो माननीय में विचाराधीन है।

(घ) आवेदन पत्र की अग्रिम जॉच पुलिस अधीक्षक जिला नीमच द्वारा की गई है।

अतः वांछित जानकारी अवोकनार्थ कृपया सादर प्रेषित है।

संलग्न :- निर्धारित प्रोफार्मा

(प्रकाश परिहार) भा.पु.से.
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
हेतु- पुलिस आयुक्त
नगरीय इंदौर

अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

...(शिकायत)
...., भोपाल

Scanned with CamScanner

वि.स. अतारा. प्रश्न क्र. 695 (द्वारा मान. विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार) — प्रपत्र (अ)

स्थानीय समाचार पत्रो मे विवाह के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी से संबंधित खबरे प्रकाशित होने पर एवं ऐसे मामलो में शिकायत उपरांत एफ आई आर दर्ज करने संबंधी जानकारी, नगरीय इंदौर

(अवधि वर्ष 2021 से 2025 तक)

क्र.	जोन/ कार्यालय	वर्ष	स्थानीय समाचार पत्रों में विवाह के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी में पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत का क्र. एवं दिनांक	आवेदक का नाम, पता व मोबा.नं.	अनावेदक का नाम व पता	शिकायत का विवरण	शिकायत का जॉच निष्कर्ष	जॉच उपरांत दर्ज अप. क्र. एवं धारा	शिकायत लंबित होने का कारण	शिकायत जॉचकर्ता अधि का नाम/पदनाम व मोबा. न
1	नगरीय. इंदौर	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
2		2022	5471/18-09-2021	चन्दू पिता आनंदराव कदम उम्र 45 नि. 80टापू नगर जीवन की फैल इन्दौर	1.महेन्द्र पिता बद्रीलाल भिलाल उम्र 26 नि.भागीरथ पुरा इन्दौर 2. पूजा पिता राजकुमार चौधरी उम्र 33 साल नि. 570/6, सर्वहारा नगर इन्दौर 3. लक्ष्मी पति राजकुमार चौधरी उम्र 50 साल नि. भागीरथपुरा इन्दौर 4. अशोक पिता द्वी लाल माली उम्र 29 साल नि. 140, रेडवाल कॉलोनी इन्दौर	आरोपियो द्वार फरियादी के साथ धोखाधडी करते हुए आरोपिया पूजा द्वारा शादी का झांसा देकर रूपये,जेवर, एवं मूल दस्तावेजो की प्रति लेकर फरार हो गए।	अपराध कायम किया गया	अप.क्र. 06/22 धारा 420,34 भादवि बढ़ाने धारा 201 भादवि	0	सउनि धनश्याम भाटी
			पुउपा/इं/30/23/22 दि.4-4-20222	दिनेश कुमार शर्मा नि. विरानी कॉलोनी मनासा हाल मु. चागेरा तह. एवं जि. नीमच 8349283822	बिदिया पिता भंवरलाल यादव नि. अंबेडकर कॉलोनी नीमच	प्रार्थी को प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झूठा नाटक कर धोखाधडी कर रुपये एंठने एवं झूठे मामले में फसाने की धमकी देने के संबंध में	शिकायत नीमच जिले से संबंधित होने से जॉच हेतु मूल शिकायत दि. 27-10-2022 को पुलिस अधीक्षक नीमच की ओर प्रेषित की गई	0	0	प्र आर बसंत सांवले 9754173338
3		2023	0	0	0	0	0	0	0	0
4		2024	0	0	0	0	0	0	0	0
5		2025	—	आवेदक श्री सुनील बरोदिया पिता श्री ईश्वर लाल बरोदिया नि: मोती नगर खेड़ा गौ शाला के पास थाना सागौर जिला धार	1. रवि रघुवंशी पिता वीर सिंह रघुवंशी नि. बाणगंगा इंदौर 2. सपना अहिरवार पिता नेतराम अहिरवार नि. बाणगंगा इंदौर 3. अजय जोशी नि0 इंदौर 4. राजेश गौड़ नि. द्वारिकापुरी हवा बंगला इंदौर	फरियादी के विवाह का अनुबंध लेख कर, आरोपीगणों द्वारा 1,20,000/- रूपयें हड़प कर धोखाधड़ी करने के संबंध में।	0	अप. क्र. 417/2025 धारा 319(2),318(4),61,3(5) बी एन.एस. का पंजीबद्ध किया गया।	0	0

अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल